न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 214/2020 तारीख दायरा 09.11.2020

उनवान

रामभरोस उर्फ पप्पू आयु 29 वर्ष पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राज । – वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर टी एक्ट

उपस्थित :– दिनांक :– 12.03.2021

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादीगण)

श्री सरकार पैरोकार

––:: निर्णय ::––

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ने अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम उमरदा पटवार हलका उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

खाता सख्या नई	पुरानी	[illegible]	रकबा
239	217	[illegible]	0.08 है.
		585	[illegible]
		586	[illegible]
		587	1.32 है.
		588	0.02 है.
		590/792	0.16 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम पप्पू पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है। वादी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड में रामभरोस पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है। वादी के ही दो नाम पप्पू व रामभरोस हैं, उक्त दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति हैं। वादी के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

वादी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्ट्रर करवाने के लिए ई–मित्र कियोस्क पर गया तो ई–मित्र संचालक ने खाते में व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में एक ही नाम होने पर ही केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मे नाम रजिस्ट्रर करने की कही। वादी को केन्द्र सरकार की योजना का लाभ वाद पत्र में वर्णित आराजी में व अन्य दस्तावेजात में नाम सही होने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने से इन्कार कर दिया इस कारण से वादी के लिए आवश्यक होने पर वादी पटवारी हलका के पास गया उनके द्वारा वादी का नाम सही नहीं करने पर वादी प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी द्वारा भी वादी का नाम सही नहीं किया। इस कारण से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

माल ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सख्या नई 239 खसरा नम्बर 470 की 0.08 है., ख.न. 585 की 0.32 है., ख.न. 586 की 0.01 है., ख.न. 587 की 1.32 है., ख.न. 588 की 0.02 है., ख.न. 590/792 की 0.16 है. कुल किता 6 की 1.91 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी के नाम पप्पू पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर रामभरोस पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया, अतः प्रतिवादी का जवाब बंद किया जाता है। गवाह सहखातेदार कल्लीबाई पत्नि पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा ने स्वयं व हंसराज पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा [illegible] किया गया । वकील वादी की अदालत मे पेश होकर शपथ पत्र पेश किया [illegible] बहस सुनी गई वकील वादी ने अपने निवेदन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, बहस अधिवक्ता, नकल जमाबंदी, शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन व मनन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सख्या नई 239 खसरा नम्बर 470 की 0.08 है., ख.न. 585 की 0.32 है., ख.न. 586 की 0.01 है., ख.न. 587 की 1.32 है, ख.न. 588 की 0.02 है., ख.न. 590/792 की 0.16 है. कुल किता 6 की 1.91 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी के बचपन के नाम पप्पू पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर वास्तविक नाम रामभरोस पुत्र पूरणमल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद